बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग—१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि २४ मार्च, १९७६ ।

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर :

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२७, ४२६, ४३०, ४३१ ४३२ ४३३, ४३४, ४३७, ४३८, ४४०, ४४१, ४४२ ४४५, ४४६, ४४७, ४५०, ४५१ ४५२, ४५३, ४५७ ४५८, ४६०, ४६१, ४६५, ४६७ ४७२, ४८१ ४८८, ४८६, ४९१, ४९२, ४९४, ४९६, ५०१, ५०३, ५०५,—५०८, ५१६, एवं ५२० — १—५७

परिशिष्ट १ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) — ५८—१०८

दैनिक निबन्ध — १०९—१११

टिप्पणी : जिन मन्त्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है ।

वासगीत जमीन का पर्चा

५१९। श्री अजीज़ुल हक—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखण्ड के इन्दिरा नगर ग्राम १२५ भूमिहीन हरिजन १० वर्षों से घर बनाकर निवास करते आ रहे हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि उप-समाहर्त्ता बाढ़ ने दिसम्बर, १९७५ में उक्त हरिजनों को उक्त ग्राम से आवास खाली करने का आदेश निर्गत किया है; यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा क्या सरकार उक्त हरिजनों को उक्त जमीन के लिए वासगीत का पर्चा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—(१) उत्तर आंशिक रूप में स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मोकामा प्रखण्ड के इन्दिरानगर (चिन्तामन चक) ग्राम में अवस्थित कृषि विभाग के बीज भुवन प्रक्षेत्र के ११ एकड़ १८ डीसमल जमीन पर १९७२ में १२५ व्यक्तियों में, जिनमें ११७ हरिजन तथा ८ अन्य पिछड़ी जाति के हैं, अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और तबसे झोपड़ी बनाकर अनाधिकृत तौर पर रह रहे हैं।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, बाढ़ के रिपोर्ट पर उक्त १२५ व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार लोक भूमि अधिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया था। उक्त १२५ मामलों में से ११६ मामलों में उक्त लोक भूमि को खाली करने का आदेश दिया गया है तथा शेष अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो रही है)

जहां तक हरिजनों को उक्त जमीन पर वासगीत का पर्चा देने का प्रश्न है, वह जमीन कृषि विभाग की सरकारी जमीन है जिसपर बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयत अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वासगीत का पर्चा देना विधि मानुकूल नहीं होगा।

(परन्तु समाहर्त्ता पटना को आदेश दिया जा रहा है कि उनलोगों को तबतक नहीं हटाया जाय जब तक कोई दूसरी व्यवस्था न हो जाय।